नाराजगी — धान उपार्जन के 15 रुपए अब भी किसानों से दूर

पुराना वादा अधूरा, नए उपार्जन की तैयारी शुरू

नवभारत, जबलपुर। धान उपार्जन के दौरान किसानों को राहत देने के लिए प्रति क्विंटल 15 रुपए प्रासंगिक व्यय देने की घोषणा की गई थी, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक किसानों के खातों में एक भी रुपया नहीं पहुंचा है। इस देरी ने किसानों के बीच भारी नाराजगी पैदा कर दी है।

एक ओर धान उपार्जन का भुगतान लंबित है, तो दूसरी ओर 15 अप्रैल से गेहूं उपार्जन शुरू होने जा रहा है। जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा है, लेकिन किसानों का कहना है कि पहले पुराने बकाए का भुगतान होना चाहिए।

उम्मीदों पर पानी, महीनों से खाली खाते

घोषणा के बाद किसानों ने अपनी संभावित राशि का आकलन कर लिया था और भुगतान की आस लगाए बैठे थे। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी खाते खाली हैं, जिससे किसानों की उम्मीदें अब टूटती नजर आ रही हैं। किसानों का कहना है कि जब तक 15 रुपए प्रति क्विंटल की राशि उनके खातों में नहीं आती, तब तक यह वादा अधूरा ही रहेगा। लगातार हो रही देरी से किसान जल्द भुगतान की मांग कर रहे हैं।

जिला उपार्जन समिति में हुआ था निर्णय

उल्लेखनीय है कि धान उपार्जन के दौरान जिला उपार्जन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। जिसमें समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को धान की भराई, ढुलाई और परिवहन के एवज में प्रति क्विंटल 15 रुपए का भुगतान किया जाना था। जिला उपार्जन समिति के अनुसार, इस राशि का भुगतान अधिकतम 1,000 रुपए तक किसानों के बैंक खाते में होना था। यह राशि उपार्जन समिति या उपार्जन समूह को दिए जाने वाले प्रासंगिक व्यय से समायोजित होनी थी।

10 तोला चांदी, आधा तोला गोल्ड समेत नकदी चोरी

जबलपुर। माढ़ोताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक प्राइवेट स्कूल शिक्षिका के सूने मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने 10 तोला चांदी, आधा तोला गोल्ड समेत नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रत्ना विश्वकर्मा एक निजी स्कूल में शिक्षिका हैं। बुधवार शाम करीब 7:45 बजे वे अपने घर का ताला लगाकर डॉक्टर के पास गई थीं।जब वे रात करीब 10 बजे वापस लौटीं, तो उनके होश उड़ गए। घर के मुख्य गेट और अंदर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। पीड़िता ने जब अलमारी की जांच की, तो उसमें रखे रखी 10 तोला चांदी की पायल, आधा तोला सोने के कान के बाले, एक सोने की नत्थ, 10,000 रुपये नकद गायब थे। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके।

मानहानि मामले में स्टेट्स रिपोर्ट तलब

दो दशक पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री उमाभारती के खिलाफ दायर किया था मामला

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने दो दशक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के खिलाफ दायर मानहानि के मामले की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने हाईकोर्ट कि रजिस्ट्री को निर्देश दिए हैं कि निचली अदालत से बुलवाकर प्रकरण की अपडेट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।2003 में दिग्विजय सिंह ने भोपाल के सीजेएम कोर्ट में मानहानि का यह मामला दायर किया था। जिसमें कहा गया था कि उमा भारती ने मीडिया से बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। इस बयान से उनकी छवि को नुकसान हुआ था। सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह की ओर से सभी गवाहों के बयान हो गए थे। उमा भारती की ओर से नरेन्द्र बिरथरे को गवाह बनाया गया। दिग्विजय सिंह की ओर से आग्रह किया गया कि नरेन्द्र बिरथरे को दोबारा बुलाकर उनका प्रति परीक्षण किया जाए।

इस आवेदन को सीजेएम कोर्ट ने 29 अगस्त 2017 को निरस्त कर दिया। इसके खिलाफ दायर पुनरीक्षण अर्जी भी 25 सितंबर 2017 को खारिज कर दी गई । इन दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए दिग्विजय सिंह की ओर से 2017 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह की ओर से अधिवक्ता ने निचली अदालत में हो रहे विलंब की दलील दी। कोर्ट ने पाया कि कि मामले की वर्तमान स्थिति स्पष्ट होना आवश्यक है।

खटारा बसों के संचालन पर लगाई गई रोक पर हाईकोर्ट की मुहर

मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस महत्वपूर्ण आदेश को पूर्णतः वैध करार दिया, जिसके तहत 15 साल से अधिक पुरानी कमर्शियल बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने बस ऑपरेटरों द्वारा दायर सभी 10 याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को परिवहन नीति बनाने और जनता के हित में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि जब नियमों में संशोधन को पहले ही वैध ठहराया जा चुका है, तो उस आधार पर जारी प्रशासनिक आदेश को अवैध नहीं कहा जा सकता। यात्री सुरक्षा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार को स्टेज कैरिज परमिट से जुड़ी नीतियां बनाने का अधिकार है। न्यायालय ने गत 27 फरवरी 2026 को सुरक्षित रखा फैसला सुनाया।मध्यप्रदेश सरकार ने 14 नवंबर 2025 को एक आदेश जारी किया था। जिसमें 15 साल की समय सीमा पूरी कर चुके व्यावसायिक वाहनों (विशेषकर बसों) को सडकों से हटाने का निर्देश दिया गया था। प्रदेश में वर्तमान में 899 ऐसी बसें चल रही हैं जो अपनी आयु सीमा पार कर चुकी हैं। बस संचालकों ने तर्क दिया था कि उनके पास वैध फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट मौजूद हैं। सभी याचिकाकर्ताओं के पास वैध स्टेट कैरिज परमिट हैं। परमिट का समय-समय पर नवीनीकरण भी कराया गया है। फिटनेस सर्टिफिकेट और टैक्स भी नियमित रूप से जमा किए गए हैं।

दिलखुश रेस्टारेंट बंद, डोसा क्रश को संचालन रोकने के निर्देश

▸ **गंदगी और नियम उल्लंघन मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई**

नवभारत, जबलपुर। जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सिविक सेंटर स्थित जेडीए बिल्डिंग में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दिलखुश रेस्टारेंट में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। यहां खुले बर्तनों में भोजन रखा गया था, साथ ही वेज और नॉन-वेज खाद्य पदार्थों को एक साथ संग्रहित किया जा रहा था। इसके अलावा, गंदगी भरे माहौल में भोजन तैयार और संग्रहीत किया जा रहा था।इन खामियों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से रेस्टारेंट का खाद्य पंजीयन निलंबित कर दिया। अब यहां भोजन बनाना और बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

वहीं, टीम ने डोसा क्रश का भी निरीक्षण किया, जहां बिना खाद्य पंजीयन के कारोबार संचालित होता पाया गया। इस पर प्रतिष्ठान को तुरंत संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अब यह रेस्टोरेंट पंजीयन प्राप्त करने के बाद ही दोबारा शुरू हो सकेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि मिलावट और अस्वच्छता के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

गांजा तस्करों पर मेहरबानी पड़ी भारी, पनागर टीआई समेत चार सस्पेंड

नशे के सौदागरों को मौके से छोड़ा, कार्रवाई में लापरवाही

एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन, आधा दर्जन थाना प्रभारियों को भी नोटिस

सीधे आईजी की कार्रवाई से मचा हड़कंप

जबलपुर। नशे के सौदागरों के खिलाफ बरती गई लापरवाही, मेहरबानी बरने वाले थाना प्रभारियों समेत पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की गाज गिर गई। जबलपुर जोन आईजी प्रमोद वर्मा ने तत्काल प्रभाव से पनागर थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार समेत चार पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने गांजा तस्करों को पकड़ने के बाद मौके से ही साठगांठ कर छोड़ दिया था। जबकि आधा दर्जन थाना प्रभारियों को नोटिस जारी किए गए है इन्होंने भी एनडीपीएस एक्ट के मामलों में लापरवाही बरती है। जानकारी के अनुसार पनागर पुलिस ने गांजा तस्करी के कई मामलों मामले में दबिश दी थी। तस्करों को रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद, कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उन्हें मौके से ही छोड़ दिया दिया था। इसके बाद अचानक सीधे आईजी द्वारा विभागीय कार्रवाई कर दी गई जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

कप्तान नहीं, सीधे आईजी तक पहुंची थी शिकायतें

सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले की शिकायतें पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय पास न जाकर सीधे आईजी प्रमोद वर्मा के पास पहुंच रही थी। आरोप था कि पनागर पुलिस ने कई गांजा तस्करों को पकड़ा तो था, लेकिन कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उन्हें मौके से ही रफा-दफा कर दिया गया। आईजी ने मामले की प्राथमिक जांच कराई, जिसमें आरोपों में सत्यता पाए जाने और एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए सख्त रुख अपनाते हुए टीआई विपिन ताम्रकार और उनके साथ शामिल एएसआई संजय मिश्रा, एसआई रवि परिहार, विनोद पर निलंबन की कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच के आदेश दे दिए है।

आधा दर्जन थाना प्रभारियों पर भी गिरी गाज

इस कार्रवाई की गूंज केवल पनागर तक ही सीमित नहीं रही। जबलपुर के लगभग आधा दर्जन अन्य थाना प्रभारियों को भी एनडीपीएस एक्ट के पुराने मामलों में लापरवाही बरतने और जांच में ढिलाई देने के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग की इस सख्ती से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

विभागीय जांच के बाद आगे की कार्रवाई

आईजी प्रमोद वर्मा ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध कारोबार में किसी भी प्रकार की संलिप्तता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीआई, तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी हो होगी । निलंबन के साथ ही इन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। इसके बाद कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बिना उम्मीद कार्ड अब मरीज नहीं होंगे रेफर

जबलपुर, नवभारत। रेलकर्मियों और उनके परिजनों के लिए चिकित्सा सुविधाओं को लेकर रेलवे प्रशासन ने अब नियमों को और सख्त कर दिया है। पमरे मुख्यालय द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार अब 1 मई से बिना उम्मीद कार्ड के किसी भी कर्मचारी को निजी अस्पतालों के लिए रेफर नहीं किया जाएगा। हालांकि यह डिजिटल प्रक्रिया पिछले एक साल से प्रभावी है, लेकिन कई मामलों में अभी भी फिजिकल रेफरल पेपर का इस्तेमाल हो रहा था। अब मुख्यालय ने इस पर पूरी तरह रोक

लगाते हुए डिजिटल मॉड्यूल को अनिवार्य कर दिया है। रेलवे ने कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे सुचारू इलाज के लिए समय-समय पर अपना उम्मीद कार्ड अप-टू-डेट करें और उसकी समाप्ति तिथि की जांच करते रहें। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर उम्मीद रिकॉर्ड में सही और अपडेट होने चाहिए। वही मरीज का पंजीकरण उम्मीद कार्ड नंबर से होगा और सत्यापन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। इसी ओटीपी के आधार पर अनुबंधित निजी अस्पताल मरीज को स्वीकार करेंगे।

इमरजेंसी में ये होंगे नियम

आपातकालीन स्थिति में यदि कोई मरीज सीधे निजी अस्पताल जाता है, तो वहां भी उम्मीद कार्ड से पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी के जरिए ही सत्यापन होगा। अस्पताल मरीज को भर्ती कर ऑनलाइन अनुमोदन के लिए रेलवे अस्पताल को रिक्वेस्ट भेजेगा, जिसे 24 घंटे के भीतर अनुमोदित या अस्वीकृत करना होगा। अब मरीज के परिजनों को रेफरल या अप्रूवल के लिए बार-बार रेलवे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। वही इलाज पूरा होने के बाद डिस्चार्ज विवरण और बिलिंग का कार्य ई-रेफरल पोर्टल के जरिए डिजिटल रूप से होगा। मरीज या परिजनों से कोई अग्रिम भुगतान नहीं लिया जाएगा।

समय से पूरा हुआ मूल्यांकन, अब रिजल्ट का इंतजार

नवभारत,जबलपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य जिले में 3 अप्रैल को सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। इस बार एमएलबी स्थित मूल्यांकन केंद्र में कुल 3 लाख 9 हजार 405 कॉपियों की जांच की गई। मूल्यांकन कार्य समय पर पूरा होने के साथ ही अब परीक्षा परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है। अधिकारियों को उम्मीद है कि अप्रैल अंत या मई माह की शुरुआत में ही छात्रों के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे, जिससे उन्हें आगे की पढ़ाई और प्रवेश प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि बारहवीं की परीक्षाएं 10 फरवरी से 7 मार्च तक और दसवीं की परीक्षाएं 13 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित की गई थीं। अब छात्रों और अभिभावकों की नजरें रिजल्ट जारी होने पर टिकी हैं, जिसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जा सकता है।

परिणाम से पहले कॉपियों की क्रॉस चेकिंग जारी

जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी के अनुसार, परिणाम जारी करने से पहले कॉपियों की क्रॉस चेकिंग और वैरिफिकेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि परिणाम पूरी तरह त्रुटिरहित हों। इस वर्ष जबलपुर जिले में कुल 43 हजार 72 विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लिया था। इनमें दसवीं कक्षा के 23 हजार 938 और बारहवीं कक्षा के 19 हजार 134 छात्र शामिल रहे। परीक्षाएं जिले के 100 केंद्रों पर आयोजित की गई थीं।

ईरान-इजराइल दोनों भारत को अपना मित्र मानते हैं, बिल्ली की भूमिका में अमेरिका

जबलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति से आज भारत की स्थिति ऐसी है कि ईरान और इजराइल दोनों ही भारत को अपना मित्र मानते हैं। असल झगड़ा ईरान और इजराइल के बीच है, लेकिन अमेरिका बिल्ली की भूमिका निभा रहा है। यह बयान जबलपुरपहुंचे प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास व संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिया। उन्होंने तंज करते हुएकहा कि दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली तराजू लेकर बैठती है और दोनों तरफ से रोटी खाती जाती है। ऐसे ही अमेरिका बिल्ली बनकर इस लड़ाई में भूमिका निभा रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी दावा किया उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बुधवार को सतना से कार द्वारा रात 8 बजे जबलपुर आगमन हुआ। श्री विजयवर्गीय यहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रात 11.30 बजे जबलपुर-इंदौर एक्सप्रेस द्वारा इंदौर प्रस्थान कर गए।

दुष्कर्म पीड़िता ने दिया नवजात शिशु को जन्म, आरोपी पर एफआईआर

जबलपुर। पाटन थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक किशोरी के साथ लंबे समय तक दुराचार किया गया। इस बीच पीड़िता गर्भवती हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसने नवजात शिशु को जन्म दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पाटन निवासी आशीष माल्लाह ने अपने ही गाँव की एक 15 वर्ष किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया था। आरोपी ने किशोरी को शादी का भरोसा दिलाया और इसी

झांसे में रखकर वह लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान किशोरी गर्भवती हो गई, लेकिन लोक-लाज के डर से मामला दबा रहा। जब उसकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई तो परिजन उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। यहाँ डॉक्टरों को परीक्षण के दौरान किशोरी के गर्भवती होने की जानकारी मिली। परिजनों ने जब आधार कार्ड प्रस्तुत किया जिसमें वे नाबालिग पाई गई। जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना पाटन पुलिस को दी इसी बीच पीड़िता ने एक शिशु को जन्म दिया। सूचना मिलते ही पाटन पुलिस की टीम मेडिकल कॉलेज पहुँची। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए, पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी आशीष माल्लाह के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

लगुन कार्यक्रम में पहुंची किशोरी का अपहरण, दरिंदगी की कोशिश

चरगवां थाना क्षेत्र के एक गांव में लगुन कार्यक्रम में डीजे की धुन के बीच एक सिरफिरे युवक ने भीड़भाड़ और शोर-शराबे का फायदा उठाकर एक किशोरी के साथ दरिंदगी की कोशिश की। आरोपी ने किशोरी का मुंह दबाकर उसे कार्यक्रम स्थल से अगवा किया और टेंट के पीछे ले जाकर उसके साथ ज्यादती का प्रयास किया।पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 16 वर्षीय किशोरी अपने परिजनों के साथ मामा के घर आयोजित लागुन कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। रात करीब 1:30 बजे जब पूरा परिवार डीजे की धुन पर जश्न में डूबा हुआ था, तभी गांव के ही 20 वर्षीय युवक शैलेंद्र झारिया ने किशोरी को अकेला पाकर दबोच लिया। आरोपी ने युवती का मुंह मजबूती से दबा दिया ताकि उसकी आवाज बाहर न निकल सके और उसे घसीटते हुए टेंट के पीछे सुनसान इलाके में ले गया। आरोपी शैलेंद्र ने युवती के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए संघर्ष जारी रखा। इसी दौरान कुछ मेहमानों की नजर टेंट के पीछे की हलचल पर पड़ गई। लोगों को अपनी ओर आता देख आरोपी घबरा गया और किशोरी को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। डरी सहमी पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों ने चरगवां थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी शैलेंद्र झारिया के खिलाफ पाक्सो एक्ट, अपहरण समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

निरीक्षण — सीएमएचओ कोठारी ने किया निरीक्षण, अधूरे कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश

100 बिस्तर के दो नए सिविल अस्पताल जल्द होंगे शुरू

नवभारत,जबलपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी ने रांझी और रामपुर छापर स्थित नवनिर्मित 100 बिस्तरीय सिविल अस्पतालों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। डॉ. नवीन कोठारी ने वार्ड, ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी कक्ष का अवलोकन कर अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश संबंधित ठेकेदार को दिए। जानकारी के अनुसार रांझी सिविल अस्पताल को लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है। वर्तमान में 40 बिस्तरों वाले इस अस्पताल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 100 बिस्तरीय अस्पताल में बदला जा रहा है। यहां एक्स-रे, आधुनिक पैथोलॉजी सेंटर, ऑपरेशन थिएटर और आकस्मिक चिकित्सा कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। निरीक्षण के दौरान डॉ. कोठारी के साथ डॉ. आदर्श विश्नोई और एनएचएम इंजीनियर दिव्या गुप्ता भी मौजूद रहीं।

नए सिविल अस्पताल का किया निरीक्षण

इसके बाद टीम ने रामपुर छापर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे नए सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएमएचओ डॉ. नवीन कोठारी ने विश्वास जताया कि दोनों सर्वसुविधायुक्त अस्पताल जल्द ही आम जनता के लिए शुरू किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।

पारिवारिक संकट दूर करने का झांसा देकर युवक से 17 .65 लाख की ठगी

जबलपुर से नागपुर तक फैला तांत्रिकों का जाल, एफआईआर दर्ज

जबलपुर। अंधविश्वास और मजबूरी का फायदा उठाकर ठगों ने सिवनी जिले के घंसौर निवासी एक युवक को अपना शिकार बनाया है। जालसाजों ने खुद को तांत्रिक बताते हुए पारिवारिक समस्याओं के समाधान का झांसा देकर पीड़ित से किस्तों में कुल 17,65,000 रुपये हड़प लिए। ठगी की यह साजिश ग्वारीघाट से शुरू होकर नागपुर तक पहुंची और अब आरोपी पीड़ित पर इलाहाबाद जाने का दबाव बना रहे हैं। इसके बाद पीड़ित ने कोतवाली थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की

एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ग्वारीघाट से बिछाया बातों का जाल

पीड़ित चन्द्रकांत सोनी पिता रविशंकर सोनी (31) निवासी घंसौर, जिला सिवनी ने बताया कि नवंबर माह में जब वे जबलपुर के ग्वारीघाट गए थे, तब वहां उन्हें दो अज्ञात व्यक्ति मिले। इनमें से एक ने अपना नाम सुभाष बताया। आरोपियों ने बड़ी ही चालाकी से चन्द्रकांत को अपनी बातों में उलझाया और दावा किया कि वे उनकी पारिवारिक समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं।

दवाइयों के नाम पर वसूली

आरोपियों ने पीड़ित को डराकर पहले दमोहनाका स्थित साईनाथ आयुर्वेदिक दुकान से कुछ दवाइयां दिलाईं, जिसके बदले उनसे 5,25,000 रुपये ले लिए गए। जब पीड़ित को कोई फायदा नहीं हुआ, तो आरोपियों ने नया पैंतरा चला और उन्हें नागपुर बुलाया। नागपुर के ईमानबाड़ा चौराहा स्थित पंचवटी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी दुकान पर ले जाकर पीड़ित से दोबारा भारी भरकम रकम वसूली गई। चन्द्रकांत ने बताया कि नागपुर में उन्होंने 11,76,000 रुपये नकद और 64,000 रुपये फोन-पे के माध्यम से, यानी कुल 12,40,000 रुपये दिए।

अब 7 .50 लाख के लिए बना रहे दबाव

इतनी बड़ी रकम गंवाने के बाद भी जब समस्याओं का अंत नहीं हुआ, तो पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। अब पिछले दो महीनों से आरोपी लगातार फोन कर पीड़ित को इलाहाबाद बुला रहे हैं और वहां 7.50 लाख रुपये की और दवाइयां लेने का दबाव बना रहे हैं। चन्द्रकांत सोनी ने अब कोतवाली थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि ये लोग तांत्रिक बनकर भोले-भाले लोगों को लूट रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है